प्रारूप–2

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद

पत्रांक / मान्यता / 13170-75 दिनांक 29-7-13

प्रबन्धक,

फोर्ड स्कूल एण्ड कालेज
काजीपुर रोड, नैनी, चाका
इलाहाबाद

विषय – निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 06.08.2012 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/ निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं फोर्ड स्कूल एण्ड कालेज काजीपुर रोड, नैनी, चाका इलाहाबाद को तारीख 01.07.2013 से तारीख 30.06.2016 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक (अग्रेजी माध्यम) के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो को पूरा किए जाने के अध्याधीन है।

1– मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।

2– विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधो का पालन करेगा ।

3– विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा ।

4– पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा । ऐसे प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।

5– सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नही करेगा ।

6– विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम क धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा । विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

(i)– प्रवेश दिए गए किसी भी बालक का विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा ।

(ii)– किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जायेगा ।

(iii)– प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी ।

(iv)– प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा ।

(v)- अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना ,

(vi)- अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतांए नही है, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतांए अर्जित करेगें।

(vii)- अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

(viii)- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नही करेगें।

7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।

8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा । अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधांए निम्नानुसार हैं -

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	8330 वर्ग मीटर
कुल निर्मित क्षेत्र	1801 वर्ग मीटर
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल	6529 वर्ग मीटर
कक्षाओं की संख्या	10
प्राध्यापक सह कार्यालय सह भंडागार के लिए कक्ष	03
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	है
पेयजल सुविधा	है
मिड डे मील पकाने के लिए रसाई	है
बाधारहित पहुंच	है
अध्यापन पठन सामग्री/ क्रीडा खेलकूद उपस्करों/ पुस्तकालय की उपलब्धता	है

9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षांए नही चलाई जायेगी ।

10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।

13- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाने

चाहिए । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए ।

14– आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक ...009...... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15– विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारों के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जांए ।

16– सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए ।

17– संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त

भवदीय

(प्रदीप कुमार शर्मा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
इलाहाबाद

पृष्ठांकन सं0/13170-75 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद
2– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद
3– जिला समाज कल्याण अधिकारी / पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी / अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, इलाहाबाद
4– सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी
5– खण्ड शिक्षाधिकारी, इलाहाबाद
6– कार्यालय गार्ड फाइल

(प्रदीप कुमार शर्मा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
इलाहाबाद